

भाग— III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

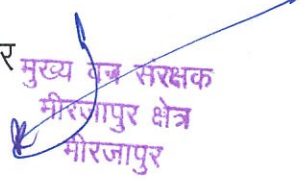
जनपद— सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0 डब्लू0 ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग कि0मी0 0.00 से 46.050 तक के चौड़िकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 18.09 हें0 वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के संबंध में।

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या— एफ0पी0/यू0पी0/रोड/121267/2021)

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक 24-08-2022

स्थान—मीरजापुर

हस्ताक्षर  मुख्य वन संरक्षक

नाम  मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

सरकारी मोहर